इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई 2025—आषाढ़ 13, शक 1947

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं. (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2025

क्र. ई-5-933-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री दीपक आर्य, भाप्रसे (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल का दिनांक 9 से 13 जून 2025 तक, पाँच दिवस का एक्स-इण्डिया अर्जित अवकाश (दिनांक 7, 8 जून 2025 एवं 14, 15 जून 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री दीपक आर्य, भाप्रसे (2012) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक आर्य, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री दीपक आर्य, भाप्रसे, द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री दीपक आर्य, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक आर्य, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते है तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(7) यदि श्री दीपक आर्य, भाप्रसे, स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के पूर्व बीच की अवधि में अपने कर्तव्य पर उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त प्रभार में कार्यरत अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपा गया प्रभार मूल पदस्थापना पर कार्यरत अधिकारी को सौंपा जावेगा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.

Scanned with OKEN Scanner

राज्य शासन के आदेश

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2025

क्रमांक 764 /3129452/2025/ए-16, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत राज्य शासन, अधिनियम की धारा 27 के अधीन म.प्र.राजपत्र (साधारण) भाग-एक दिनांक 17 जनवरी,2025 में पृष्ठ क्रमांक 139 पर प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 15 जनवरी, 2025 द्वारा अधिसूचित नियोजन की अनुसूची के भाग एक की प्रविष्टि क्रमांक 36(क), क्रमांक 59(क) एवं प्रविष्टि क्रमांक 73 में न्यूनतम मजदूरी दरों को प्रथम बार निर्धारित करना प्रस्तावित करता है तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये प्रकाशित कर एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप प्रस्ताव पर "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दो मास की अवधि व्यतीत होने के बाद विचार किया जाएगा।

ऐसी किसी आपत्ति या सुझाव पर, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप-प्रस्ताव के संबंध में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रस्ताव

राज्य सरकार, एतदद्वारा नीचे कॉलम (2) में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों के संबंध में कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट नियोजित कर्मचारियों के वर्गो के लिए, कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की (प्रतिमाह/प्रतिदिन) न्यूनतम दरें तथा कॉलम (5) में दर्शाए अनुसार परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें, देय किये जाने हेतु प्रथम बार निर्धारित करना प्रस्तावित करता है:-

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

अनुसूची

क.	अनुसूची क्रमांक एवं नियोजन का नाम	कर्मचारियों का वर्ग/श्रेणी	मजदूरी की न्यूनतम मूल दरें प्रतिमाह	मजदूरी की न्यूनतम मूल दरें प्रतिदिन	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	36(क) किसी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग में नियोजन	<u>उच्च कुशल</u> जैसे-कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि	13919	535.35	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		<u>लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक</u> जैसे एकाउंटेंट, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउनकीपर, हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक), मुनीम, रिकार्डकीपर आदि।	12294	472.85	-तदैव-
		<u>लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो</u> जैसे क्लर्क (लिपिक), कंप्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट आदि।	10571	406.59	-तदैव-
		<u>कुशल श्रेणी-1-</u> जैसे मेन्टीनेंस फोरमेन, उत्पादन मॉनीटर, प्लैकेट मशीन ऑपरेटर, आर्मटाप ऑपरेटर, कटिंग मास्टर, टेलर, फाइव थ्रेड आपरेटर, बेल्ट मशीन आपरेटर, कटर, पेटर्न मास्टर, फरमें बनाने वाला, लूप्समेंकिंग आपरेटर, सुपरवायजर, चेकर, फ्युजिंग आपरेटर, आदि ।	12294	472.85	-तदैव-

Scanned with OKEN Scanner

क्र.	अनुसूची क्रमांक एवं नियोजन का नाम	कर्मचारियों का वर्ग/श्रेणी	मजदूरी की न्यूनतम मूल दरें		परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
		कुशल श्रेणी-2 जैसे (Deputy) उप फीटर, उप इलेक्ट्रिशियन, उप प्रॉडक्शन मॉनीटर आदि।	11433	439.74	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		अर्धकुशल श्रेणी-1 जैसे पेकिंग वाले, लेअरमेन, लूप्सकटिंग, सहायक उत्पादन सहयोगी, सहायक फिटर, सहायक मशीनिस्ट, सहायक इलेक्ट्रिशियन आदि।	10571	406.59	-तदैव-
		अर्धकुशल श्रेणी-2, जैसे जूनियर फिटर, जूनियर मशीनिस्ट, जूनियर इलेक्ट्रिशियन, जूनियर प्रोडक्शन एसोसिएट, जूनियर चेकर, आदि।	10073	387.42	-तदैव-
		अकुशल जैसे धागा कटिंग, चेकिंग, लोडिंग-अनलोडिंग, हेल्पर, चौकीदार, साफ-सफाई वाले, डोफर, सांइडर, वाईन्डर, (रिंगफ्रेम/सिम्पलेक्स/लिंककोनर /ऑटो कोनर), टैटर (बुनाई, डाई हाउस), जांच ऑटोकोनर/पैकिंग) पैकर, मिक्सिंग हेल्पर, फ्लोर क्लीनर आदि	9575	368.27	-तदैव-

Scanned with OKEN Scanner

(1)	(2)	(3)	(4) प्रतिमाह	प्रतिदिन	(5)
2	**59(क) किसी वुवन, निटेड और टेक्नीकल फेब्रिक से बने हुए अपेरल निर्माण में नियोजन**	उच्च कुशल जैसे कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर सह ऑपरेटर सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग - डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी, डिजिटाइजर/ केड कैम ऑपरेटर एवं इसके समकक्ष पद आदि	13919	535.35	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शित अनुसार।
		<u>लिपिकीय वर्ग श्रेणी</u> एक जैसे मुनीम,एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोर कीपर आदि।	12294	472.85	-तदैव-
		<u>लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो</u> जैसे कंप्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि।	10571	406.59	-तदैव-
		<u>कुशल श्रेणी-1-</u> जैसे प्रिन्टिंग मशीन ऑपरेटर, ऑटोमेटिक कटिंग मशीन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, बॉयलर ऑपरेटर वर्ग-एक, बेन्ड नाईफ कटर, निटिंग मास्टर, सिलाई, कटिंग एवं एम्ब्राईडरी करने वाला, वाहन चालक(भारी), सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि।	12294	472.85	-तदैव-
		<u>कुशल श्रेणी-2</u> जैसे विशेष मशीन ऑपरेटर ग्रेड-2, (हीट टेपिंग मशीन, क्विल्टिंग मशीन ऑपरेटर), असिस्टेंट प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर, गुणवत्ता परीक्षक (क्वालिटी एक्जामिनर), असिस्टेंट ऑटोमेटिक कटिंग मशीन ऑपरेटर, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, असिस्टेंट फिटर, बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड-2, असिस्टेंट बेन्ड नाईफ कटर आदि।	11433	439.74	-तदैव-

Scanned with OKEN Scanner

क्र.	अनुसूची क्रमांक एवं नियोजन का नाम	कर्मचारियों का वर्ग/श्रेणी	मजदूरी की न्यूनतम मूल दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
		अर्धकुशल श्रेणी-1 जैसे- स्टिचर ग्रेड-1, सीनियर कटर, जूनियर गुणवत्ता परीक्षक (जूनियर क्वालिटी एक्जामीनर), जूनियर बैन्ड चाकू कटर, पैकर, असिस्टेंट सुपरवायजर, वाहन चालक(हल्का), काज-बटन वाला, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि।	10571	406.59	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार।
		अर्धकुशल श्रेणी-2, जैसे- स्टिचर ग्रेड-2, सीनियर प्रेसर/प्रेसमेन, जूनियर फ्यूजिंग ऑपरेटर, ऑटोमेटिक एम्ब्रायडरी मशीन ऑपरेटर आदि।	10073	387.42	-तदैव-
		अकुशल जैसे जूनियर प्रेसर/ प्रेसमेन, स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर, ट्रिमर, फोल्डर, चेकिंग, पैकर, हाउसकीपिंग, लोडर, समस्त श्रेणी के अन्य हेल्पर आदि।	9575	368.27	-तदैव-
3.	**(73) किसी फुट वियर निर्माण में नियोजन.**	उच्च कुशल जैसे- कम्प्युटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्युटर आपरेटर-सह स्टेनोटायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी, केडकेम ऑपरेटर, केमिस्ट एवं इसके समकक्ष पद आदि।	13919	535.35	-तदैव-

Scanned with OKEN Scanner

लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], हेड क्लर्क, (मुख्यलिपिक) [illegible], रिकॉर्डकीपर आदि	12294	472.85	[illegible] [illegible] [illegible] अनुसूची [illegible] [illegible] [illegible] अनुसार।
लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे क्लर्क (लिपिक) टायपिस्ट, कम्प्यूटर टायपिस्ट आदि	10571	406.59	-तदैव-
कुशल जैसे मैकेनिक, फिटमैन, मशीन ऑपरेटर, मोल्डर, क्वालिटी कट्रोलर, प्रिन्टर आदि ।	12294	472.85	-तदैव-
अर्धकुशल जैसे क्लिकिंग वर्कर, मार्किंग वर्कर, प्रेसिंग वर्कर, जूनियर ऑपरेटर, प्रोडक्शन वर्कर, प्लास्टिंक वर्कर, इलास्टिक मैन, फिक्सिंग वर्कर, मोल्डिंग वर्कर, क्वालिटी कंट्रोलर असिस्टेंट, स्टिचिंग वर्कर, स्टिचिंग असिस्टेंट, चप्पल-शू मेकर (नॉन मेकेनिक), कटिंग प्रेस वर्कर, फिनिशिंग वर्कर, हीट सीलिंग ऑपरेटर, स्ट्रेप ट्रिमिंग, चप्पल असेम्बली वर्कर, स्टिचिंग ऑपरेटर, मोल्डिंग वर्कर, मोल्डिंग प्रेस ऑपरेटर आदि।	10571	406.59	-तदैव-
अकुशल जैसे पेकर, ट्रिमर, क्लीनर, स्टोर वर्कर, चेकिंग, डिस्पेच वर्कर, सहायक हेल्पर अन्य समस्त कार्य हेतु आदि।	9575	368.27	-तदैव-

Scanned with OKEN Scanner

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता टीप-

उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ 4 में दर्शाई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 311 (2001=100) जनवरी, 2019 से जून, 2019 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 311 सूचकांक के पश्चात प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ 5 में दर्शाई गई वेतन दरों में वृद्धि दिनांक 01 अप्रैल अथवा 01 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह रूपये 25/-के हिसाब से की जावेगी और स्तम्भ 4 में दी गई दरों में हुई यह वृद्धि स्तम्भ 5 के लिये परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मानी जावेगी, एक अप्रैल से देय परिवर्तनशील महगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, इसी पकार एक अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से जून तक के छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृध्दि की घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी व्दारा समय-समय पर की जावेगी।

<u>स्पष्टीकरण</u>

1. इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सन्दर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।

2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।

3. <u>अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारी की सामान्य परिभाषा निम्नानुसार है :-</u>

"अकुशल कर्मचारी" वह है, जो ऐसे सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है।

"अर्द्धकुशल कर्मचारी श्रेणी" वह है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्रा के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है।

Scanned with OKEN Scanner

"**कुशल कर्मचारी**" वह है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, अपनी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है।

"**उच्च कुशल कर्मचारी**" वह है जो उच्च कोटि के विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो तथा अपनी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमा धारी हो। उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

4. म.प्र.शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी 2025 (म.प्र. असाधारण राजपत्र क्रमांक 4 दिनांक 17 जनवरी,2025) द्वारा जोड़े गए अनुसूचित नियोजन क्रमांक 26(क) किसी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग में नियोजन तथा क्रमांक 59(क) किसी बुने, निटेड और टेक्नीकल फैब्रिक से बने हुए अपेरल निर्माण में नियोजन में श्रमिकों के नियोजन हेतु वर्तमान प्रचलित चार श्रेणियों (अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल, उच्चकुशल) के अतिरिक्त प्रचलित कुशल श्रेणी (संशोधित कुशल श्रेणी-1) के साथ कुशल श्रेणी-2 एवं अर्द्धकुशल श्रेणी (संशोधित अर्द्धकुशल श्रेणी-1) के साथ अर्द्धकुशल श्रेणी-2 निर्मित की गई है।

अर्द्धकुशल श्रेणी-2 व कुशल श्रेणी-2 की सामान्य परिभाषा निम्नानुसार है :-

"**अर्द्धकुशल श्रेणी-2 कर्मचारी**" वह है, जो रोजमर्रा का निश्चित कार्य, जिसमें कि उससे अधिक निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, तथापि वह पर्यवेक्षक के निर्देशों के अधीन सामान्य कुशलता व तकनीकी कार्यों का सम्पादन करने की योग्यता रखता हो।

"**कुशल श्रेणी-2 कर्मचारी**" वह है, जो सामान्यतः किसी दक्षतापूर्ण कार्य के प्रारंभिक या प्राथमिक स्तर को सामान्य कुशलता के साथ निर्वहन कर सके अथवा किसी अधिक कुशलताधारी व्यक्ति के सहयोग से बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य संपादित कर सके।

5. उक्त अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि प्रचलित वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी।

6. किसी भी स्थापना या उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है, यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे।

7. उक्त अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

8. जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो वहां खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे दैनिक एवं छह दिन कार्य करने तथा एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो.

9. मजदूरी निर्धारण मे पैसे तथा रूपये के गुणांको को पूर्णांक करके दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार दिनांक 20 सितम्बर 2006 मे पचास पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हे अगले उच्चतर रूपये मे पूर्णांकित किया जावेगा और पचास पैसे से कम राशि को छोड दिया जावेगा।

10. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत कुर्रे, अपर सचिव.

Scanned with OKEN Scanner